राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2330/2012/चुरू.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, रतनगढ़, चुरू. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हर्षवाल स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, रणधीसर, सुजानगढ़. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2331/2012/चुरू.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, रतनगढ़, चुरू. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री शक्ति स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, रणधीसर, सुजानगढ़. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 2332/2012/चुरू.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, रतनगढ़, चुरू. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जगदम्बा स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, रणधीसर, सुजानगढ़. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 117, 177 व 178/आरवैट/चुरू/2011–12 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 21.05.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, रतनगढ़ वृत्त–चुरू (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक क्रमशः 08.03.2010, 30.03.2010 व 30.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. तीनों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः तीनों अपीलों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2007—08 के कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23/24 में बिना कोई नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की गिट्टी एवं बजरी के विक्रय को स्टोन डस्ट मानते हुए 6/— रूपये प्रति टन के स्थान पर 12.5 प्रतिशत की कर दर से करारोपण कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जांच के पश्चात् आदेश पारित करने के निर्देश देते हुए प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत था एवं गिट्टी व बजरी को स्टोनडस्ट उचित रूप से माना गया है। कथन किया कि व्यवसायी द्वारा स्टोनडस्ट की बिक्री की जा रही थी परन्तु उसे बजरी की बिक्री दिखाकर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005—86 दिनांक 11.09.2006 के अनुसार स्टोनडस्ट पर एकमुश्त राशि जमा नहीं कराई जा सकती थी, अतः नियमित कर दर से किया गया करारोपण उचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारीगण द्वारा अपनी क्रेशर मशीन में पहले पत्थर को तोड़कर छोटे टुकड़े किये जाते हैं, जिससे गिट्टी व बजरी बनती है, न कि स्टोन डस्ट। ऐसी स्थिति में उनके माल को बिना किसी आधार के एवं बिना किसी सुनवाई के ही स्टोनडस्ट माना जाना विधि के विरूद्ध है एवं इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से सुनवाई हेतु प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया था, जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

7. कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में कोई नोटिस जारी नहीं होना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करना प्रमाणित है एवं यह भी प्रमाणित था कि व्यवहारी द्वारा अपने माल की बिक्री गिट्टी एवं बजरी बताई गई थी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के स्टोनडस्ट मान लिया गया जो विधिसम्मत नहीं है।

8. यह अनिवार्य है कि किसी भी व्यवहारी द्वारा स्वयं द्वारा घोषित किसी वस्तु को अन्यथा मानने से पूर्व जांच एवं विधिसम्मत आधार एवं साक्ष्य होने चाहिये जो कि किसी व्यवहारी के क्लेम को अन्यथा प्रमाणित कर सकें, जबकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के घोषित माल को अन्यथा माल मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में सुनवाई का अवसर दिये जाने का अपीलीय आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायिक रूप से उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा ये निर्देश दिये गये हैं कि व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए एवं बाद जांच कि अपीलार्थी द्वारा किया गया विक्रय (ग्रिट/बजरी/स्टोनडस्ट) सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से बिक्री की जाती है एवं उसका उपभोक्ताओं द्वारा किस रूप में उपयोग किया जाता है, के आधार पर करदेयता अवधारित करने के निर्देश दिये गये हैं, जो पूर्णतया विधिसम्मत हैं।

9. यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि किसी भी कर निर्धारण आदेश के पूर्व करदाता द्वारा अपने विवरण पत्रों में घोषित बिक्री में वस्तु को अन्यथा मानने से पूर्व उसकी जांच किया जाना आवश्यक है एवं किसी भी व्यवहारी के विरूद्ध अतिरिक्त करारोपण किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का मूलभूत बिन्दु है। अतः कर निर्धारण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी प्रकरण में करदाता के विरूद्ध अतिरिक्त करारोपण के पूर्व उसे उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

10. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

4-1-2017
(मदन लाल)
सदस्य